

मूल वाद में प्रा0डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय)

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. अर्जुन लाल पुत्र झूथाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोमाका की ढाणी कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी / प्रार्थी

बनाम

1. मालीराम पुत्र झूथाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोमाका की ढाणी कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. भोमाराम यादव पुत्र बोदूराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम विशनपुरा मोड ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला-जयपुर।
3. उप-पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 141/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी व प्रतिवादीगण मिन जामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद प्रा0 डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि आ0 ख0न0 6925, 6926, 6927, 6931, 6933, 6936, 6923 कुल किता 7 का कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं, का वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 9.3.17 व संलग्न नजरी नक्शे को ध्यान मे रखते हुये तकासमा कर कुरेजात रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी से पूर्व न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ तहरीर जारी हों।

बसरत मेरे हुस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत केम्प मुख्यालय चौमूं मे आज तारीख 05.07.2017 को जारी किया गया।

मोहर



30
(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई चौमूं जिला-जयपुर	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोट:-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

30
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 141/2011

1. अर्जुन लाल पुत्र झूथाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोमाका की ढाणी कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. मालीराम पुत्र झूथाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोमाका की ढाणी कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. भोमाराम यादव पुत्र बोदूराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम विशनपुरा मोड ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला-जयपुर।
3. उप-पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण


दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 20.12.2017

पत्रावली पेश हुई। व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 05.07.2017 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षों ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद में तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से बटवारा किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जावे। हमने बहस पर मनन किया तथा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात में वकील उभयपक्षों को कोई एतराज नहीं है तथा कुरेजात अनुसार दावों को अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है।


अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा प्राप्त कुरेजात स्वीकार किये जाते हैं तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 6925, रकबा 0.08हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6926 रकबा 0.07हैक्टेयर, ख0न0 6927 रकबा 0.28हैक्0, ख0न0 6931 रकबा 0.90हैक्0 ख0न0 6933 रकबा 0.58हैक्0, ख0न0 6936 रकबा 0.43हैक्0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.34हैक्0 तथा ख0न0 6923 रकबा 0.30हैक्0 वाके ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. अर्जुन लाल पि0 झूथाराम जाति अहीर सा0देह खातेदार को ख.न. 6923/1 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.नं. 6925/1 रकबा 0.01हैक्0, ख0न0 6925/3 रकबा 0.03हैक्0, ख0न0 6926/1 रकबा 0.03हैक्0, ख0न0 6927/1 रकबा 0.14हैक्0, ख0न0 6931/1 रकबा 0.45हैक्0, ख0न0 6933/1 रकबा 0.29हैक्0, ख0न0 6936/2 रकबा 0.22हैक्0 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.32हैक्ट., लगान 45.54रु जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. मालीराम पुत्र झूथाराम जाति अहीर सा0देह खातेदार को ख.न. 6923/3 रकबा 0.1338हैक्ट., ख.नं. 6925/2 रकबा 0.04हैक्टेयर, ख0न0 6926/2 रकबा 0.04हैक्0, ख0न0 6927/2 रकबा 0.14हैक्0, ख0न0 6931/2 रकबा 0.45हैक्0, ख0न0 6933/2 रकबा 0.29हैक्0, ख0न0 6936/1 रकबा 0.21हैक्0 कुल किता 7 का कुल रकबा 1.3038 हैक्ट., लगान 44.98रु जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।


उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

3. भोमाराम पुत्र बोदूराम जाति अहीर नि० चिमनपुरा मोड ग्राम इटावा भोपजी को ख०न० 6923/2 रकबा 0.0162 हैक्टो लगान 0.56रु जो संलग्न नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। आदेश दिनांक 20.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया।


प्रियव्रत सिंह चौरण
उपखण्ड अधिकारी जयपुर
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमू, जिला जयपुर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व

अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1. अर्जुन लाल पुत्र झूथाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोमाका की ढाणी कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

वादी/प्रार्थी

बनाम

1. मालीराम पुत्र झूथाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम भोमाका की ढाणी कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. भोमाराम यादव पुत्र बोदूराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम विशनपुरा मोड ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमू जिला-जयपुर।
3. उप-पंजियक चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 141/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. अर्जुन लाल पि0 झूथाराम जाति अहीर सा0देह खातेदार को ख.न. 6923/1 रकबा 0.15 हैक्ट., ख.नं. 6925/1 रकबा 0.01हैक्ट, ख0न0 6925/3 रकबा 0.03हैक्ट, ख0न0 6926/1 रकबा 0.03हैक्ट, ख0न0 6927/1 रकबा 0.14हैक्ट, ख0न0 6931/1 रकबा 0.45हैक्ट, ख0न0 6933/1 रकबा 0.29हैक्ट, ख0न0 6936/2 रकबा 0.22हैक्ट कुल किता 8 का कुल रकबा 1.32हैक्ट., लगान 45.54रू जो संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. मालीराम पुत्र झूथाराम जाति अहीर सा0देह खातेदार को ख.न. 6923/3 रकबा 0.1338हैक्ट., ख.नं. 6925/2 रकबा 0.04हैक्टेयर, ख0न0 6926/2 रकबा 0.04हैक्ट, ख0न0 6927/2 रकबा 0.14हैक्ट, ख0न0 6931/2 रकबा 0.45हैक्ट, ख0न0 6933/2 रकबा 0.29हैक्ट, ख0न0 6936/1 रकबा 0.21हैक्ट कुल किता 7 का कुल रकबा 1.3038 हैक्ट., लगान 44.98रू जो संलग्न नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. भोमाराम पुत्र बोदूराम जाति अहीर नि0 चिमनपुरा मोड ग्राम इटावा भोपजी को ख0न0 6923/2 रकबा 0.0162हैक्ट लगान 0.56रू जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 20.12.2017 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

मोहर



दस्तखत

ओहदा.....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	1	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक	1	
मुतफरिक	3				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर